उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 26.04.2021

यू0पी0सी0एल0 के वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ याचिका पर निर्धारण हेतु दिनांक 14 जनवरी, 2021 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 13.75% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 8047.94 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 952.48 करोड (मय रख–रखाव व्यय) का राजस्व अन्तर दर्शित किया गया था। उक्त राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यूपीसीएल द्वारा कुल राजस्व अन्तर के मात्र एक तिहाई भाग रू0 323.78 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) में टैरिफ वृद्धि के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित किया गया तथा शेष दो तिहाई भाग को नियामक सम्पत्ति (Regulatory Asset) बनाकर आगामी वर्षों में वसूला जाना प्रस्तावित किया गया। यूपीसीएल द्वारा नियामक सम्पत्ति (Regulatory Asset) के रूप में प्रस्तावित धनराशि को सम्मिलित किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपभोक्ता टैरिफ में कुल 13.42% टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

- उक्त के अतिरिक्त, पिटकुल, एसएलडीसी एवं यूजेवीएन लि0 ने भी वित्तीय वर्ष 2021–22 में टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रेषित किया गया था। आयोग द्वारा, यदि इनके प्रस्तावित दरों को as it is स्वीकृत किया जाता तो उपभोक्ताओं के टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 16.20% (13.42%+2.78%) की वृद्धि होती।

- **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गये:–**

  (1) वित्तीय वर्ष 2019–20 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (truing up)।

  (2) वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) वित्तीय वर्ष 2021–22

(3) वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ निर्धारण।

- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वितरण हानि 13.75% स्वीकृत की गई (यूपीसीएल द्वारा वितरण हानि 13.75% प्रस्तावित की गयी थी)। इस प्रकार अनुमानित विक्रय एवं वितरण हानि के अन्तर को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कुल 15,577.59 एम0यू0 ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 7625.22 करोड़ निर्धारित किया गया है। उक्त ARR में वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तिम सहीकरण (final truing up) के फलस्वरूप आंगणित धनराशि के समायोजनोपरान्त अनुमोदन किया गया है।

- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए धनराशि रू0 260.71 करोड़ का राजस्व अन्तर स्वीकृत किया गया, जो कि वर्तमान टैरिफ दरों से प्राप्त राजस्व का लगभग **3.54%** है। उक्त राजस्व अन्तर की भरपाई हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ में मामूली वृद्धि स्वीकृत की गयी है।

- विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ पुनर्निर्धारण करते समय सभी श्रेणियों की क्रॉस–सब्सिडी को कम करने का प्रयास किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च	5322.16	5269.47
2.	वाटर टैक्स	-	-
3.	यूजेवीएन लि0 बकाया		-27.61
4.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	636.39	614.55
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0 चार्जेज	351.98	288.11
5.	ऋण पर ब्याज	175.82	129.30
6.	मूल्य ह्रास	186.64	178.80
7.	O&M व्यय	600.69	595.27
8.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.00	121.86
9.	लाभांश	113.89	117.87
10.	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**7387.56**	**7287.63**
11.	घटायाः गैर टैरिफ आय	-282.72	-282.72
12.	जोड़ः सहीकरण का प्रभाव अन्तर/(अधिशेष)	943.09	620.30
13.	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**8047.94**	**7625.22**

<u>वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः</u>

- कोविड महामारी के इस दौर में छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को आयोग द्वारा उनका टैरिफ न बढ़ाकर राहत दी गयी है। इस क्रम में **निम्न उपभोक्ता श्रेणियों के टैरिफ दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी हैः–**
    - **बीपीएल उपभोक्ता [कुल 5,01,692 उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 20%)]**
    - **स्नोबाउण्ड उपभोक्ता।**
    - **घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ता। [कुल 11,34,239 उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 45%)]**
    - **अघरेलू श्रेणी के छोटे उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत 50 यूनिट प्रतिमाह तक हो।**
    - **25 किलोवॉट विद्युत भार तक के एलटी उद्योग। [कुल 10,284 उपभोक्ता (कुल एलटी उद्योग उपभोक्ताओं का 75%)]**
- निर्धारित देय तिथि से पूर्व समय पर डिजिटल माध्यम एवं अन्य माध्यम से बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा निम्न छूट अनुमोदित की गयी हैः–
    - मासिक बिल का भुगतान बिल जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवसों के अन्दर डिजिटल माध्यम (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई/भीम/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/मोबाइल वॉलेट इत्यादि) से भुगतान किये जाने पर कुल बिल धनराशि (कर एवं ड्यूटी को छोड़कर) में **Prompt Payment Rebate के रूप में 1.25% की छूट।**
    - कैश/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर इत्यादि अन्य माध्यमों से मासिक बिल का भुगतान बिल जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवसों के अन्दर किये जाने पर कुल बिल धनराशि (कर एवं ड्यूटी को छोड़कर) में **Prompt Payment Rebate के रूप में 0.75% की छूट।**
    - परन्तु उक्त छूट की अधिकतम सीमा एलटी उपभोक्ताओं को रू0 10,000.00 (रूपए दस हजार) प्रतिमाह तथा एचटी उपभोक्ताओं को रू0 1,00,000.00 (रूपए एक लाख) होगी।

  इस प्रकार डिजिटल माध्यम से समय पर भुगतान करने पर (उपरोक्त छूट का लाभ लेने पर) उपभोक्ता के टैरिफ में मात्र **2.29%** की वृद्धि ही प्रभावी होगी।
- आयोग द्वारा **'पीक ऑवर सरचार्ज' में कोई वृद्धि न कर यथावत् रखा गया है** एवं 'ऑफ पीक ऑवर्स' में विद्युत उपभोग को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से **'ऑफ पीक ऑवर छूट' को वर्तमान 15% से बढ़ाकर 20% अनुमोदित किया गया है।**
- अविरल आपूर्ति उपभोग करने वाले उद्योगों को राहत देते हुए वर्तमान **'अविरल आपूर्ति सरचार्ज' को 7.5% से घटाकर 5% अनुमोदित किया गया है।**
- राज्य में इलैक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **पब्लिक इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कोई वृद्धि न कर यथावत् रखा गया है।**

- आयोग द्वारा यूपीसीएल को उपभोक्ता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल एवं पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से बिल के नोटिफिकेशन विषयक सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
- आयोग द्वारा यूपीसीएल को समय पर बिल वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा उपभोक्ताओं को बिल भुगतान किये जाने हेतु बिल वितरण की तिथि से (न कि बिल जारी किये जाने की तिथि से) कम से कम 15 दिन दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बिल में उल्लेखित उक्त भुगतान की निर्धारित तिथि के पश्चात् बिना किसी रियायत अवधि (Grace Period) के विलम्ब अधिभार लागू हो जाएगा।
- एलटी श्रेणी के 25 किलोवॉट विद्युत भार तक के उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटरिंग उपलब्ध रहेगी तथा वे उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटरिंग के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहें हैं उन्हें विद्युत प्रभार पर घरेलू श्रेणी में 4% एवं अन्य एल0टी0 उपभोक्ता को 3% की छूट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी। प्रीपेड मीटरिंग की सम्बन्धित अन्य शर्तें भी टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई है।

विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2021 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का विवरण निम्नवत् हैः–

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार वर्तमान, प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0–1: घरेलू

तलिका 4 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू						
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	Rs. 60/ Connection	Rs. 2.80/kWh	Rs. 60/ Connection	Rs. 2.80/kWh	Rs. 60/ Connection	Rs. 2.80/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह	Rs. 95/ Connection	Rs. 3.75/kWh	Rs. 124/ Connection	Rs. 4.10/kWh	Rs. 120/ Connection	Rs. 4.00/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह	Rs. 165/ Connection	Rs. 5.15/kWh	Rs. 124/ Connection for 201-300 units and Rs 260/connection for 301-400 units	Rs. 4.10/kWh for 201-300 units and Rs 5.95/kWh for 301-400 units	Rs. 200/ Connection	Rs. 5.50/kWh
(vi)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह	Rs. 260/ Connection	Rs. 5.90/kWh	Rs. 260/ Connection	Rs. 5.95/kWh	Rs. 300/ Connection	Rs. 6.25/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 85/kW	Rs. 4.85/kWh	Rs. 95/kW	Rs. 5.25/kWh	Rs. 95/kW	Rs. 5.15/kWh

आर0टी0एस0–1 ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 5 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित						
1	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
2	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
3	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh
4	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 6 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि						
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 70/ kW	Rs. 4.60/ kWh	Rs. 80/ kW	Rs 4.70/ kWh	Rs. 75/ kW	Rs. 4.65/ kWh
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 80/ kVA	Rs. 4.35/ kVAh	Rs. 90/ kVA	Rs. 4.45/kVAh	Rs. 85/ kVA	Rs. 4.40/ kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता						
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 70 / kW	Rs. 4.70/ kWh	Rs. 70 / kW	Rs. 4.70/ kWh	Rs. 70 / kW	Rs. 4.70/ kWh
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 85 / kW	Rs. 5.75/ kWh	Rs. 95 / kVA	Rs. 5.90/ kVAh	Rs. 90 / kW	Rs. 5.80/ kWh
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 85 / kVA	Rs. 5.60/ kVAh	Rs. 95 / kVA	Rs. 5.80/kVAh	Rs. 90 / kVA	Rs. 5.80/ kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूर्ति	Rs. 85 / kVA	Rs. 5.65/ kVAh	Rs. 95 / kVA	Rs. 5.75/kVAh	Rs. 90 / kVA	Rs. 5.75/ kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 100/ kW	Rs. 6.25/kWh	Rs. 110 / kVA	Rs. 6.40/ kVAh	Rs. 110/ kW	Rs. 6.40/kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तालिका 7 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी	Rs. 70/kVA	Rs. 5.40/ kVAh	Rs. 90/kVA	Rs. 5.94/ kVAh	Rs. 90/kVA	Rs. 5.80/ kVAh
ग्रामीण	Rs. 60/kVA	Rs. 5.40/ kVAh	Rs. 80/kVA	Rs. 5.94/ kVAh	Rs. 80/kVA	Rs. 5.80/ kVAh

आर0टी0एस0–4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 8 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स						
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.03/ kWh	Nil	Rs. 2.03/ kWh	Nil	Rs. 2.08/ kWh
आर0टी0एस0–4ए : कृषि सहयोगी सेवायें						
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.25/ kWh	Nil	Rs. 2.25/ kWh	Nil	Rs. 2.75/ kWh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 9 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
एल0टी0 इंडस्ट्रीज						
1. 25 किलोवॉट तक अनुबन्धित विद्युत भार	Rs. 155/ kW	Rs. 4.60/ kWh	Rs. 155/ kVA	Rs. 4.60/ kWh	Rs. 155/ kW	Rs. 4.60/ kWh
2. 25 किलोवॉट से अधिक अनुबन्धित विद्युत भार	Rs. 150/ kVA	Rs. 4.25/ kVAh	Rs. 160/ kVA	Rs. 4.35/ kVAh	Rs. 160/ kVA	Rs. 4.30/ kVAh

तालिका 10 : एचटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार ((Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	**88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज**							
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	4.20	Rs. 310/kVA of the billable demand	4.98	At 11 kV: 400 Rs/kVA of billable demand At 33 kV: 380 Rs/kVA of billable demand At 132 kV and above: 360 Rs/kVA of billable demand	4.45	Rs. 340/kVA of the billable demand
		Above 40%	4.60		4.84		4.85	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	4.20	Rs. 370/kVA of the billable demand	4.98		4.45	Rs. 410/kVA of the billable demand
		Above 40%	4.60		4.84		4.85	

आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 11 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार						
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 90/kW	Rs. 5.30/ kWh	Rs. 100/kW	Rs. 5.45/kWh	Rs. 110/kW	Rs. 5.45/kWh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 12 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs.250/kVA	Rs. 4.65/kVAh	Rs. 270/kVA	Rs. 4.80/kVAh	Rs. 265/kVA	Rs. 4.70/kVAh

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 13 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 5.50/kWh	--	Rs. 5.75/ kWh	--	Rs. 5.50/ kWh

****